अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

180/2022/RSRT श्रीमती फिरदौस बनाम नसरुद्दीन वगैरा

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/180	
पेशी	श्री शहाबुद्दीन खाँ श्री	

श्रीमती फिरदौरा बनाम नराम्द्दीन वगैरह (180/2022)

12.7.22 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक केवियटकर्ता को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 05.07.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने वहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वादी/अपीलांट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 426 रकवा 0.85, खसरा नम्बर 404 रकवा 0.04, खसरा नम्बर 405 रकवा 0.04 सम्वत 2070-2073 की ग्राम गेगल में स्थित कृषि भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2022 को क्रय किया लेकिन वादिया के नाम नामान्तकरण दर्ज नही होने से रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के द्वारा भूमि को पुनः बेचान, हस्तातंरण करने की धमकी देने पर एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा वाद के कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों व कानूनो के विपरीत जाकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.06.2022 को दर्ज रजिस्टर कर, अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् यह आदेश पारित कर दिये कि अप्रार्थीगण को सुने बिना इस स्टेज पर एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे वहस में कथन किया कि अपीलांर्थी/वादी अने अपना रजिस्टर्ड बेनामा एवं कानून द्वारा प्रकरण को स्पष्ट किया कि अपीलांट सद्भावी क्रेता है तथा उपरान्त क्रय कर उस पर कब्जा ले लिया है लेकिन अपीलांट के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं होने से रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी भूमि को पुनः बेचान, हस्तातंरण करने पर आमादा है। मान्नीय उच्चतर न्यायालय ने अपने अनेक आदेशों में यह प्रतिपादित किया है कि जहाँ उभयपक्ष के मध्य कृषि भूमि बाबत् विवाद हो वहाँ यथास्थिति दी जानी चाहिए,जिससे अनावश्यक मुकदमें बाजी नहीं बढे। यदि विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित नहीं किये जाते है तो अपीलांट को अपनी भूमि से बेदखल कर देगें जिसे अपूरणीय क्षति अपीलांट को ही होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.06.2022 की क्रियान्विति को स्थगित की जाकर, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल कारित नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की आज की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 14.09.2016 पेज 580 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2022 विधि सम्मत है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् चाराजोही करनी चाहिए।

अभिभाषक उभयपक्ष की वहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि विक्रय प्रलेख दिनांक 19.04.2022 नसरुद्दीन पुत्र इज्जत बक्ष जाति मुसलमान वजरिये मुख्त्यार -आम श्रीमती फिरदोस बानो पत्नी गुल मोहम्मद जाति मुसलमान ने द्वितीय पक्ष क्रेती श्रीमती फिरदोस बानो पत्नी गुल मौहम्मद को विक्रय की है। अपील में तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख / पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री श्री	

पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.06.2022 को यह आदेश पारित किये है कि **"अप्रार्थीगण को सुने बिना इस स्टेज पर एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही है"** तथा आगामी पेशी दिनांक 22.07.2022 नियत की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.06.2022 की अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। विक्रय प्रलेख में दोनो क्रेता एवं विक्रेता है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करनी चाहिए थी जो नहीं की गई। केवल नामान्तकरण दर्ज नही होने से रेस्पोडेन्ट भूमि को अन्यत्र बेचान करने पर आमादा है कह कर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है जो विधि सम्मत नही है। अपीलांट विवादित आराजी के क्रेता है, विक्रेता ने जब विक्रय विलेख किया जब [illegible] विवादित आराजी को क्रेता का कब्जा सम्भलाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश ने आदेश पारित करने में त्रुटि कारित नही की है। अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय, अजमेर को आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय, अजमेर को उपरोक्त निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। पक्षकार को पावंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर